न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादी :–

1. मनीष भाटी पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जाति भाटी माली निवासी वार्ड नम्बर 6 माली मोहल्ला ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गोमाराम पुत्र श्री भैरूराम जाति गूर्जर
2. बाबुराम पुत्र श्री भैरूराम जाति गूर्जर
3. लालाराम पुत्र श्री भैरूराम जाति गुर्जर
4. तेजाराम पुत्र श्री भैरूराम जाति गूर्जर
5. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– बंटवारा, घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता वादी

मुकदमा नम्बर :– 2023/74 निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम पीह तहसील परबतसर की सरहद में राजस्व भूमि खाता नम्बर 442 खसरा नम्बर 1524 रकबा 0.0100 हैक्टर गै0मु0 कुआ, खसरा नम्बर 1525 रकबा 4.1800 हैक्टर चाही – 3 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 4.1900 हैक्टर स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सयुक्त खातेदारान है। वादग्रस्त आराजीयान में वादी का 1/2 हिस्सा है वादग्रस्त आराजी मौके पर अलग–अलग हिस्से कायम हो रखे है वादग्रस्त आराजियान में खसरा नम्बर 1524 गैरमुमकिन कुआ में वादी का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1525 में वादी का 1/2 हिस्सा मौके पर अलग से बंट किया हुआ है जिसके पड़ोस दक्षिण में छोटूराम कसाणिया की जमीन, उत्तर में आम रास्ता, पूर्व मे आम रास्ता, पश्चिम में प्रतिवादीगण 1 से 4 की जमीन है। उक्त पड़ोस बीच की जमीन वादी कि पंजीयन बैचाननामें के द्वारा योगेश माहेश्वरी, श्रीमति शकुन्तला माहेश्वरी व सार्थक

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

माहेश्वरी से दिनांक 01.02.2022 को खरीद सुदा है तथा वादी को बैचान करने वाले योगेश वगेराह ने वाद ग्रस्त आराजीयान पूर्व खातेदारान रामेश्वरसिंह से जरिये पंजीयन बैचाननामे से दिनांक 28.12.2018 को खरीदी है, जो उपरोक्त वर्णित पड़ोस बीच की भूमि का बैचान रामेश्वरसिंह ने योगश आदि को किया है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियान मौके पर वादी के खरीदने से पहले ही अलग–अलग बंटी हुई है जिसकी सींवे माढे अलग–अलग कायम की हुई है। वादग्रस्त आराजियान रामेश्वरसिंह व उसके भाई रामाकिशन ने खरीदी है तब से दोनो भाईयों ने अलग–अलग हिस्से मौके पर बंट कर के कायम किए हुए है और उसी अनुसार मौके पर सन् 2016 से काश्त कब्जा अलग–अलग बंट के अनुसार चला आ रहा है राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजियान संयुक्त खातेदारी की है। वादी वादग्रस्त गैरमुमकिन कुआ में से 1/2 हिस्से का नालबट करवाकर पानी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्सा जिसके पड़ोस उपरोक्तानुसार है, का बंटवारा करवाकर अलग बंट व हिस्सा कायम करवाने की इस्तदुआ चाही है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुए। बावजूद सूचना के प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लांई जाने से पत्रावली साक्ष्य वादी में तलब की गई। जिसमें वकील वादी ने वादी स्वयं मनीष भाटी व गवाह लादूराम के शपथ–पत्र पेश किए और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस वकील वादी की एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद का समर्थन करते हुए वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की पेश की है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना के हाजीर अदालत होकर किसी प्रकार की उजर/एतराज जाहीर नहीं किया तथा वादी का वाद बंटवारे का होने के कारण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर ने

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

अपने पत्रांक भू0अ / 2025 / 1195 दिनांक 20.06.2025 द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषित किया जाकर अलग–अलग होल्डिंग कायम किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीह तहसील परबतसर की सरहद में राजस्व भूमि खाता नम्बर 442 खसरा नम्बर 1524 रकबा 0.0100 हैक्टर गै0मु0 कुआ, खसरा नम्बर 1525 रकबा 4.1800 हैक्टर चाही – 3 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 4.1900 हैक्टर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टांडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमां इब्ताहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना–कुचामन), राज.

वादी :–

मनीष भाटी पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जाति भाटी माली निवासी वार्ड नम्बर 6 माली मोहल्ला ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गोमाराम पुत्र श्री भैरूराम जाति गूर्जर
2. बाबुराम पुत्र श्री भैरूराम जाति गूर्जर
3. लालाराम पुत्र श्री भैरूराम जाति गुर्जर
4. तेजाराम पुत्र श्री भैरूराम जाति गूर्जर
5. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– बंटवारा, घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता वादी

मुकदमा नम्बर :– 2023 / 74

निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू....... बहाजरी श्री अधिवक्ता वादी श्री श्यामनिरंजन बोहरा मिनजानिब मुदई रूबरू............. मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि :–

कि ग्राम पीह तहसील परबतसर की सरहद में राजस्व भूमि खाता नम्बर 442 खसरा नम्बर 1524 रकबा 0.0100 हैक्टर गै0मु0 कुआ, खसरा नम्बर 1525 रकबा 4.1800 हैक्टर चाही – 3 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 4.1900 हैक्टर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/06/2025 को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी)

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी परबतसर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीलान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर